प्रेस विज्ञप्ति
16/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 11.12.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कलकत्ता के समक्ष एक पाकिस्तानी नागरिक, आजाद मलिक @ अहमद हुसैन आजाद @ आजाद हुसैन के मामले में इंदुभूषण हलदर @ दुलाल और चार अन्य के खिलाफ पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय, विचार भवन, कोलकाता ने अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है।

पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आजाद मलिक के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मामले में जांच शुरू की। जांच से पता चला है कि आजाद हुसैन, एक पाकिस्तानी नागरिक, आजाद मलिक, मोना मलिक के पुत्र की छद्म पहचान के तहत भारत में रह रहा था। वह इंदुभूषण हलदर के साथ मिलीभगत करके, बांग्लादेश से अवैध आप्रवासियों के लिए धन के बदले भारतीय पहचान दस्तावेज धोखाधड़ी से प्राप्त करने में शामिल पाया गया। इसके बाद, आजाद मलिक @ अहमद हुसैन आजाद @ आजाद हुसैन को 15.04.2025 को गिरफ्तार किया गया और इंदुभूषण हलदर उर्फ दुलाल को 13.10.2025 को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच के दौरान आजाद मलिक से जुड़े परिसरों में कई तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध संकेती दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए। जांच के दौरान पता चला कि आजाद मलिक @ अहमद हुसैन आजाद @ आजाद हुसैन एक पाकिस्तानी नागरिक है जो भारत में एक नकली भारतीय पहचान के तहत रह रहा है। उसने अपने साथियों की मदद से जाली जानकारी का उपयोग करके आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे कई भारतीय पहचान दस्तावेज प्राप्त किए थे। वह भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध सीमा पार प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक हवाला नेटवर्क भी चलाता था, नकद और यूपीआई में भुगतान एकत्र करता था और फिर बांग्लादेश में समतुल्य राशि स्थानांतरित करने से पहले बीकैश (bKash) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करता था।

ईडी की जाँच में पता चला कि आज़ाद हुसैन ने इंदुभूषण हलदर @ दुलाल के माध्यम से आज़ाद मलिक की छद्म पहचान के तहत अपने धोखाधड़ी से प्राप्त भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण कराया था। आज़ाद हुसैन @ आज़ाद मलिक ने बांग्लादेशी ग्राहकों को, जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने में रुचि दिखाई, इंदुभूषण हलदर को भेजा था। आज़ाद हुसैन ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर, अपने सहयोगी इंदुभूषण हलदर @ दुलाल की मदद से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करवाए। वे पासपोर्ट सहित सभी भारतीय पहचान दस्तावेजों को बनाने के लिए लगभग 50,000 रुपये लेते थे और आज़ाद हुसैन और इंदुभूषण ने अपने ग्राहकों के लगभग 300-400 पासपोर्ट आवेदन भेजे थे।

ईडी की जांच में पता चला है कि 29 पासपोर्ट आवेदन थे जिनमें इन्दुभूषण हलदर ने आईटीआर और आयकर भुगतान पर्ची की प्रति जमा की थी, जो बिल्कुल एक ही प्रकार की पाई गई और आयकर प्राधिकरण की किसी भी मुहर के बिना जमा की गई थी। ये दस्तावेज लगातार "एक ही प्रकार के" थे और समान रूप से आवश्यक मुहर के बिना थे और स्पष्ट रूप से भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जाली थे।

जांच के दौरान, यह देखा गया कि इन्दुभूषण हलदर द्वारा संदर्भित कुछ पासपोर्ट आवेदन, उनके संलग्नकों के साथ, कल्पना से परे कई विसंगतियां थीं, जो स्थापित करती हैं कि पासपोर्ट जाली या मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए थे।जांच में पता चला कि एक मामले में दो भाइयों ने पासपोर्ट आवेदन पत्र में जन्म तिथि क्रमशः 01.01.1988 और 01.04.1988 भरी थी, जिसमें केवल तीन महीने का अंतर था, जो कि जैविक रूप से असंभव है। एक अन्य मामले में दो भाइयों की जन्म तिथि क्रमशः 24.10.1975 और 24.05.1976 है अर्थात केवल सात महीने का अंतर है, जो कि फिर से संदिग्ध है। इसके अलावा, जांच के दौरान, उपरोक्त दो व्यक्तियों का एक और भाई अपने नाम से जारी बांग्लादेशी राष्ट्रीय आईडी कार्ड के कब्जे में पाया गया, जिसमें उसे ढाका, बांग्लादेश का निवासी दिखाया गया है।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मेसर्स गोल्डनइज फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आरबीआई के नियमों के तहत एक लाइसेंस प्राप्त पूर्ण विकसित मनी चेंजर (एफएफएमसी) है और इसके निदेशक आरबीआई के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अनधिकृत विदेशी मुद्रा संचालन में लिप्त हैं। उन्होंने आजाद मलिक @ आजाद हुसैन, एक पाकिस्तानी नागरिक को, उसकी गैर-भारतीय पहचान जानने के बावजूद, विदेशी मुद्रा काउंटर संचालित करने की अनुमति दी, जो बिना किसी सहायक दस्तावेजों के सार्वजनिक रूप से कमीशन के बदले विदेशी मुद्रा बेचता था। जांच में पता चला है कि अन्य एफएफएमसी या एडी-II बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीदने के बाद, आजाद हुसैन, मेसर्स गोल्डनइज फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बिना किसी कानूनी रूप से आवश्यक दस्तावेजों के, उसी को अवैध रूप से घरेलू बाजार में बेच दिया। इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ों को बनाए रखने के लिए, वे कई व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर, उनकी जानकारी और सहमति के बिना, उनके दस्तावेजों का उपयोग करके नकली/फर्जी बिक्री दिखाते थे।

कंपनी के निदेशकों ने अवैध धन को वैध बनाने के लिए व्यवस्थित रूप से अपनी कंपनी का दुरुपयोग किया। कई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा की बिक्री के बहाने कंपनी के बैंक खातों में 80 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम जमा की गई, जबकि जांच से पता चला है कि वास्तव में इनमें से अधिकांश लेनदेन में जाली दस्तावेज, नकली कैश मेमो और इन कई ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान का अनधिकृत उपयोग शामिल था।

इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 के साथ धारा 45 के तहत आज़ाद हुसैन @ आज़ाद मलिक @ अहमद हुसैन आज़ाद) एक पाकिस्तानी नागरिक जो भारतीय नागरिक की छद्म पहचान के तहत भारत में रह रहा है (के खिलाफ पहले 13.06.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। अभियोजन शिकायत का संज्ञान पहले ही पीएमएलए के तहत माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट द्वारा 19.06.2025 को लिया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।